स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 236, दिनांक 09–08–2024

जनपद बलिया से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी इश्तियाक अहमद गिरफ्तार।

दिनांक 09–08–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना नरही, जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/2024 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिर फ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– इश्तियाक अहमद पुत्र शहबाज निवासी तेतारपुर, थाना नरही, जनपद बलिया।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

ग्राम तेतारपुर थानाक्षेत्र नरही, जनपद बलिया। दिनांक 09–08–2024, समय 16.19 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक फैजूद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी रमाशंकर चौधरी, आरक्षी सुधीर कुमार व आरक्षी श्रीकृष्ण गिरी की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त टीम वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद बलिया मे भ्रमणशील थी। जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थाना नरही, जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/2024 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी इश्तियाक अहमद अपने घर आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम मय जनपद पुलिस के उक्त स्थान पर पहुॅची। कुछ समय पश्चात अभियुक्त इश्तियाक अहमद उपरोक्त ग्राम तेतारपुर पर पहुॅचा, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा बिना देरी किये अभियुक्त इश्तियाक अहमद उपरोक्त को आवश्यक घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त इश्तियाक अहमद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके ऊपर वर्ष 2023 में गौकशी के सम्बन्ध में थाना नरही, बलिया में मु0अ0सं0 328/2023 धारा 3/5ए/8 गोवश निवारण अधि0 का पंजीकृत हुआ था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसके ऊपर इनाम घोषित हो गया। अभियुक्त तभी से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लुक–छिप कर स्थान बदल–बदल कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त इश्तियाक अहमद के विरूद्ध थाना नरही, जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/2024 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।